

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	24012.07	...	24012.07	25943.67	5.08	25948.75	25937.60	11.08	25948.68	26588.81	3.38	26592.19
वसूलियां	-18.02	...	-18.02	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
प्राप्तियां
निवल	23994.05	...	23994.05	25443.67	5.08	25448.75	25437.60	11.08	25448.68	26088.81	3.38	26092.19
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	56.96	...	56.96	61.32	3.08	64.40	64.32	9.08	73.40	80.41	3.38	83.79
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	15.83	...	15.83	18.00	...	18.00	19.30	...	19.30
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	72.79	...	72.79	79.32	3.08	82.40	83.62	9.08	92.70	80.41	3.38	83.79
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	47.17	...	47.17	56.00	...	56.00	73.50	...	73.50	88.87	...	88.87
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा)	6.68	...	6.68	9.40	...	9.40	10.38	...	10.38	11.40	...	11.40
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	22.30	...	22.30	21.25	...	21.25	28.90	...	28.90	24.79	...	24.79
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	29.12	...	29.12	42.00	...	42.00	29.79	...	29.79	28.00	...	28.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	69.33	...	69.33	40.06	...	40.06	55.06	...	55.06
जोड़-स्वायत्त निकाय	174.60	...	174.60	168.71	...	168.71	197.63	...	197.63	153.06	...	153.06
अन्य												
8. राष्ट्रीय पुरस्कार	0.56	...	0.56	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
9. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	0.56	...	0.56	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	175.16	...	175.16	175.91	...	175.91	204.83	...	204.83	160.26	...	160.26
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
10. निर्भया निधि से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	4.95	...	4.95	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
11. निर्भया निधि को अंतरण	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
12. निर्भया निधि से पूरी की गयी राशि	-4.95	...	-4.95	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	500.00	...	500.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
13. वास्तविक वसूलियां	-13.07	...	-13.07
14. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना)	19876.11	...	19876.11	20552.31	2.00	20554.31	21521.13	2.00	21523.13	21200.00	...	21200.00
15. मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा)	1042.91	...	1042.91	1472.17	...	1472.17	1272.17	...	1272.17	1472.17	...	1472.17
16. <i>मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)</i>												
16.01 सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन-स्टॉप केन्द्र, नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि)	195.60	...	195.60	562.00	...	562.00	462.00	...	462.00	629.00	...	629.00
16.02 सामर्थ्य (शक्ति सदन(स्वाधार, उज्वला, विधवा गृह) सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल), पालना राष्ट्रीय क्रेच योजना), प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना/महिला सशक्ति के लिए राष्ट्रीय केन्द्र/ महिलोन्मुखी बजट/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया आदि)	2144.55	...	2144.55	2581.96	...	2581.96	1863.85	...	1863.85	2516.97	...	2516.97
<i>जोड़- मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)</i>	<i>2340.15</i>	<i>...</i>	<i>2340.15</i>	<i>3143.96</i>	<i>...</i>	<i>3143.96</i>	<i>2325.85</i>	<i>...</i>	<i>2325.85</i>	<i>3145.97</i>	<i>...</i>	<i>3145.97</i>
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	23746.10	...	23746.10	25188.44	2.00	25190.44	25149.15	2.00	25151.15	25848.14	...	25848.14
कुल जोड़	23994.05	...	23994.05	25443.67	5.08	25448.75	25437.60	11.08	25448.68	26088.81	3.38	26092.19
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2661.76	...	2661.76	1429.92	...	1429.92	1169.11	...	1169.11	1226.29	...	1226.29
2. पोषाहार	15.83	...	15.83	18.00	...	18.00	19.30	...	19.30
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	56.93	...	56.93	61.32	...	61.32	64.32	...	64.32	80.41	...	80.41
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00	...	2.00	2.00
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.08	3.08	...	9.08	9.08	...	3.38	3.38
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2734.52	...	2734.52	1509.24	5.08	1514.32	1252.73	11.08	1263.81	1306.70	3.38	1310.08
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2519.00	...	2519.00	2522.00	...	2522.00	2733.90	...	2733.90
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20544.62	...	20544.62	20506.56	...	20506.56	20801.15	...	20801.15	21235.88	...	21235.88

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	714.91	...	714.91	908.87	...	908.87	861.72	...	861.72	812.33	...	812.33
जोड़-अन्य	21259.53	...	21259.53	23934.43	...	23934.43	24184.87	...	24184.87	24782.11	...	24782.11
कुल जोड़	23994.05	...	23994.05	25443.67	5.08	25448.75	25437.60	11.08	25448.68	26088.81	3.38	26092.19

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है। मंत्रालय एफएनबी पोषण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्य करता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यकता भी पूरा करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा):** केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है और इसको देश में और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को मॉनिटर और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कारा प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ,परित्यक्त और अभ्यर्षित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करती है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण'(कारा) द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियमन,2017 दिनांक 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गए हैं। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसको संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की

जांच एवं अन्वेषण करने के लिए अधिदेय किया गया है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवंचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्ल्यूवी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में - महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय पुरस्कार:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

9. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है।

14. **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना):** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - इस स्कीम का उद्देश्य उन प्रथाओं का विकास करना है जो कुपोषण के बीच स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। अधिकतम पोषाहार परिणामों को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरियों और पोषण अभियान की स्कीमों को पोषण 2.0 के तहत संरक्षित किया गया है। इन स्कीमों के तहत घटकों को तीन प्रमुख वर्टिकल अर्थात पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल देख-रेख और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के लिए सं. अ. 2023-24 में 126.00 करोड़ रुपये और ब.अ. 2024-25 में 120.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

15. **मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा):** मिशन वात्सल्य - यह स्कीम देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले और अन्य संवेदनशील बच्चों के विस्तृत विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के घटकों में बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन, पालन-पोषण और दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल शामिल हैं। यह चाइल्ड लाइन और चाइल्ड ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से आफ्टर केयर कार्यक्रम और आपातकालीन आउटरीच सेवा को भी सहायता प्रदान करता है।

16.01. **मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन):** मिशन शक्ति (संबल) - इस उप-स्कीम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहुंच में सुधार करना है और सभी प्रयासों और विभिन्न सरकारी पहलों को एकीकृत करना है, साथ

ही हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं के अधिकारों और उनकी हकदारी को निरंतर आधार पर विस्तृत रूप में सुरक्षित करना और राष्ट्र निर्माण में एकीकृत भागीदारों के रूप में उन्हें फिर से उबरने में उनकी सहायता करना है।

16.02. **मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन):** मिशन शक्ति (सामर्थ्य) – इस उप-स्कीम का उद्देश्य महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए सुदृढीकरण और अभिसरण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार लाना है। इस उप-स्कीम का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास और सशक्तिकरण करना है। इस उप-स्कीम के घटक शक्ति सदन, सखी निवास, पालना-क्रेच सुविधा, प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए हब, जेंडर बजटिंग और अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया समर्थन है।